न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2 / 229 / 2025 दायर दिनांकः— 24 / 09 / 2025

जीसीएमएस नंः— 2025 / 454 निर्णय दिनांकः— 30 / 10 / 2025

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र कन्हैया जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।

——— सायल

बनाम

1. रामदयाल पुत्र छंगा जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
2. ओमप्रकाश पुत्र छंगा जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
3. अशोक पुत्र छंगा जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
4. बिटटू पुत्र छंगा जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
5. लच्छो पुत्री छंगा जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
6. रामसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
7. भागचन्द पुत्र रामखिलाडी जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
8. दिनेश पुत्र रामखिलाडी जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
9. पूरन पुत्र सुमरता जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
10. बनवारी पुत्र सुमरता जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
11. मुकेश पुत्र सुमरता जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
12. भीम पुत्र सुमरता जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
13. सतीश पुत्र सुमरता जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
14. मिथुन उर्फ मिठठन पुत्र सुमरता जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
15. धप्पी पत्नि सुमरता जाति प्रजापत निवासी दांतिया तहसील कठूमर।
16. उप पंजीयक महोदय भनोखर तहसील कठूमर।

——— गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1. घनश्याम शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थी

–:आदेश:–

सायलन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.18 हैक्ट0, 1430 रकबा 0.23 हैक्ट0, 1431 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1432 रकबा 0.10 हैक्ट0, 1475 रकबा 0.10 हैक्ट0, 1476 रकबा 0.10 हैक्ट0, 1477 रकबा 0.09 हैक्ट0, वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में स्थित है। विवादीत आराजी सायल का 1/3 हिस्सा शेष हिस्सा गैरसायलान की संयुक्त कब्जे के शामलात में काबिज रहकर काश्त करते है तथ उक्त आराजी अभी अवट है जिसका लगान पक्षकारान शामलात में अदा कर रहे है।मौके पर संयुक्त कब्जे काश्त में है।सायलान व गैरसायल संख्या 1 के मध्य शामलात में काश्त होती चली आ रही थी लेकिन अब सायलान व गैरसायलान के मध्य मनमुटाव इस कदर बढ गया है शामलात काश्त को लेकर झगडा फशाद होता रहता है। विवादीत आराजी पर किसी सूरत में काश्त करना संभव नही है। गैरसायलान जबर्दस्त मूँह जोर व लटठ बाज व्यक्ति है सायाल के हिस्सा पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते है उक्त आराजी को गैरसायलान से मिलकर उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन व हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करा दूँगा गैरसायलान ने सायलान को खुले आम धमकी दी कि हम तुझे विवादीत आराजी में तेरे हिस्सा की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नही करने देंगे जबकी गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलानने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान दिनांक 30.10.2025 को बावजूद रजिस्टर डाक सूचना के हाजिर अदालत नही होने पर उनके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल लाई गई।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम मैंथना एवं दावा निर्णय दिनांक 28.07.2023 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा वाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलानने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पावन्द कराने का निवेदन किया है।

सायलान को प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः– अधिवक्ता सायल ने अपनी एकपक्षिय वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी आराजी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है जिस पर सायल काविज रहकर काश्त कर रहा है लेकिन गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते है जवरन बेदखल करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि होगी। अतः अधिवक्ता सायल ने गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई से पावन्द किये जाने का निवेदन किया है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमावन्दी हाल वाके ग्राम दांतिया पेश की है जिसमें विवादित आराजी सायल की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये और ना अपनी ओर से प्रार्थना पत्र में किसी तरह के उज व ऐतराज पेश किये, अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत जमावन्दी हाल से विवादित आराजी सायल की खातेदारी में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में सावित है।

सुविधा का सन्तुलनः– विवादित आराजी हाल जमावन्दी में सायल की खातेदारी में दर्ज है। इससे सावित है जिसका तकासमा किया जाने तो गैरसालान को कोई असुविधा नहीं होती है अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

नापूर्ति होने वाली क्षतिः– विवादित आराजी का सायल खातेदार काश्तकार है यदि सायलान ने सायल को उक्त आराजी से वेदखल कर दिया या कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या वेदखल कर दिया तो नापूर्ति होने वाली क्षति व असुविधा सायल को ही होना संभव है। गैरसायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायल के पक्ष में सावित है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–:आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार किया जाकर पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 24.09.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०